

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139) दिनांक 27/05/17-18

आदेश पत्रक-ता०

से

जिला-खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार- बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिहरण।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
20.05.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक-1693/सी०आर०, दिनांक 10.05.2017 के द्वारा परबत्ता (भरतखंड) थाना काण्ड संख्या-88/2017 दिनांक 13.03.2017 धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शशि भूषण कुमार उर्फ सुधांशु कुमार, पे० महेन्द्र मंडल, साकिन-नयावास मथुरापुर, थाना-परबत्ता(भरतखंड) जिला-खगड़िया के जी०एन० बान्ध स्थित वासा को अधिहरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।</p> <p>उक्त प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि परबत्ता (भरतखंड) ओ०पी० थानाध्यक्ष, द्वारा जी०एन० बान्ध नयावास मथुरापुर स्थित बान्ध के जमीन पर बने वासा पर बिछावन के नीचे से एक 375 एम०एल० का विदेशी शराब जप्त किया गया है। जप्त विदेशी शराब को जाँच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक कुम्हरार, पटना को भेजा गया है। प्रथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरेप पत्र समर्पित किया जा चुका है, तथा यह भी प्रतिवेदित किया है अभियुक्त का यह वासा टाट-फूस का बना है जो नयावास मथुरापुर स्थित जी० एन० बान्ध के सरकारी बान्ध के जमीन पर स्थित है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। चूँकि प्रतिवेदनानुसार जहाँ वासा है वह भूमि सरकारी बान्ध है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में थानाध्यक्ष, परबत्ता (भरतखंड) को आदेश दिया जाता है के सरकारी बान्ध के भूमि पर बने टाट-फूस के वासा को ध्वस्त करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगे। साथ ही जी०एन० बान्ध के बगल वाले सरकारी बान्ध भूमि का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की सूची बन कर अंचल अधिकारी परबत्ता को भेजे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता (भरतखंड)/अंचल अधिकारी, परबत्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं रांशोधन</p>	<p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>20.05.2017</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया</p> <p>आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित</p> <p>20.05.2017</p> <p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया</p>

समाहर्ता, खगड़िया।

समाहर्ता, खगड़िया।